Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 2 | ISSN : 2582-0095

स्मृति कालीन समाज एंव वर्तमान समाज की समीक्षा

प्रभा चतुर्वेदी

शोध छात्रा, संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान।

सारांश- आधुनिक भारत में वर्णव्यवस्था का नहीं जातिवाद का प्राबल्य है। कतिपय सन्दर्भो में यह पहले की अपेक्षा अधिक संगठित तथा आक्रामक हो चुकी है। आज यह अपने जिस उग्र रूप में है उसे सहजतापूर्वक समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग इसे हितकर तो कुछ अहितकर मानते हैं, परन्तु इसके दोषों को दूर करने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिये। डॉ. मजूमदार का मत है कि "अस्पृश्यता एक जाति का दूसरी जाति द्वारा शोषण है और ऐसी ही अन्य इस प्रथा की हानिकारक सहयोगी प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिये, न कि सम्पूर्ण व्यवस्था को। क्षतग्रस्त विषाक्त अंगुली को काटना चाहिये न कि पूरे हाथ को। यदि हम जनतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो जातिगत रूढ़ियों को शिथिल करना होगा और योग्यता एवं समानता को महत्त्व देना होगा।

मुख्य शब्द - वर्ण, व्यवस्था, सदस्य, कर्तव्य, स्मृति, समाज, जातिप्रथा, भारतीय, हिन्दू, धर्म।

आधुनिक समय में वर्ण- व्यवस्था का स्थान 'जातिप्रथा' ने ले लिया है। आज भारतीय हिन्दू समाज चार वर्गों में नहीं वरन् कई हजार जातियों तथा उपजातियों में विभाजित है। यह व्यवस्था भारतवर्ष में ही पाई जाती है अन्य देशों में नहीं। यहाँ पर ध्यातव्य है कि यह व्यवस्था भारतवर्ष में ही क्यों पाई जाती हैं? तो इसका कोई एक कारण नहीं है अपितु अनेक कारण बतलाए जाते हैं जो सदियों से इसे पोषित करते आ रहे हैं, यथा–कालान्तर में परम्परागत चिन्तन के फलस्वरूप इसका विकास हुआ, ब्राह्मणों ने स्वार्थवश इसे बनाया, विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण, अनुलोम–प्रतिलोम विवाह, कार्यक्षेत्र को अपनाने तथा भौगोलिक क्षेत्रों में बसने के कारण आदि।[1]हट्टन ने भारत में जातिप्रथा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताते हुए कहा है कि "भारतीय जातिप्रथा अनेक भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारकों के पारस्परिक सम्बन्धी कार्यों का प्राकृतिक फल है। ये कारण इस प्रकार सम्बन्धित अन्य कहीं नहीं पाये जाते हैं।"[2]

इस व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति जिस किसी जाति विशेष में जन्म लेता है वही उसकी जाति मान ली जाती है। यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुआ है तो जीवनभर ब्राह्मण ही रहेगा। इसी प्रकार शूद्र आजीवन शूद्र ही रहेगा और समाज में वह निम्न स्तर ही प्राप्त करेगा, चाहे उसके कार्य कितने ही अच्छे क्यों न हो, परन्तु वह संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है।[3] इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी जाति से अलग जाति में विवाह करना धार्मिक अपराध माना जाता था और ऐसे दम्पती के बच्चों की गणना 'वर्णसंकर' सन्तान के रूप में की जाती थी।[4] आज वर्णसंकर जातियों की संख्या अनगिनत है, क्योंकि समाज में अन्तर्जातीय विवाह प्रारम्भ से ही होते रहे हैं चाहे

समाज ने उनका विरोध ही किया हो। इसलिये जाति को सीमित मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता। जहाँ पुरातन विचारधारा प्रचलन में है वहीं पर रक्त की शुद्धता देखी जा सकती है, लेकिन शहरी वातावरण में यह लुप्तप्राय: है।

आज अध्यापक, वकील, क्लर्क, डॉक्टर, इन्जीनियर आदि जो भी व्यवसाय करते हों, लेकिन ये अपने कार्यक्षेत्र से नहीं अपितु जाति से पहचाने जाते हैं। इससे पूर्व वर्ण के आधार पर जाना जाता था। आज परिवेश के परिवर्तित होने पर जातिप्रथा बदली नहीं अपितु परिस्थितियों के अनुसार उसने नवीन रूप धारण कर लिया है।

वर्तमानकाल में जाति व्यवस्था को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है–(1) उच्च जातियाँ (2) मध्यम जातियाँ (3) निम्न जातियाँ और (4) अति निम्न जातियाँ । उच्च जातियों को सामान्य वर्ग, मध्यम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग, निम्न जातियों को अनुसूचित जाति तथा अति निम्न जातियों को जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से जनजातियाँ वे अविकसित जातियाँ हैं जो जंगलों, पहाड़ियों, घाटियों, तराई क्षेत्रों आदि में निवास करने वाली हैं। इन्हें आदिवासी, वन्य जाति, वनवासी, आदिम जाति भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत इन जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।[5] इस प्रकार समग्र भारत में हजारों जातियों–उपजातियों[6] का निवास है जिनकी तालिका निम्न है – (देखें तालिका अग्रिम पृ)

तालिका में उद्धरणस्वरूप दी गई उच्च जातियाँ सामान्यतौर पर प्राप्त ब्राह्मण उप जातियाँ हैं। मध्यम जातियों और निम्न जातियों में दिल्ली राज्य की पूर्ण केन्द्रीय सूची तथा अति निम्न जातियों में मध्य प्रदेश राज्य की जातियाँ दी गई हैं। अन्य राज्यों की जातियों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।'

उपर्युक्त जातियों और जनजातियों के साथ–साथ भारत में कई धर्म और सम्प्रदाय भी हैं, यथा–मुसलमान, सिक्ख, ईसाई आदि। इनमें जाति एवं वर्ण को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ये सामूहिक समानता पर बल देते हैं। फिर भी इनमें किसी–न–किसी रूप में जातीय–विभेद पाया जाता है। जो इस प्रकार है –

उच्च जातियाँ (सामान्य वर्ग) आज ब्राह्मण जाति (वर्ण में नहीं)[7] में प्राप्त उपजातियाँ	मध्यम जातियाँ (अन्य पिछड़ा वर्ग) दिल्ली राज्य[8]	निम्न जातियाँ (अनुसूचित जाति) दिल्ली राज्य[9], अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सूची (उपान्तरण) आदेश, 1956	अति निम्न जातियाँ (अनुसूचित जनजाति) मध्य प्रदेश राज्य[10], अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976
1. वसिष्ठ 2. हुसेनी 3. चितपावन 4. शक/गौड़ 5. भार्गव 6. पुष्करणी	1. अब्बासी, भिश्ती, सक्का 2. अगरी, खरवाल 3. अहीर, यादव, ग्वाल 4. अरैन, रायी, कुजड़ा 5. बढ़ई, बरई, खाती,	1. आदि–धर्मी 2. अगरिया 3. अहेरिया 4. बलाई 5. बंजारा 6. बावरिया	1. अगरिया 2. आन्ध 3. बैगा 4. भैना 5. भारिआ भूमिआ, भुईंहार भूमिया, भूमिआ, भारिया, पालिहा, पांडो

7. कन्नौजिया	तर्खन, जागड़ा–ब्राह्मिन	7. बाजीगर	6. भत्तरा
8. निरोला	विश्वकर्मा, रामगढ़िया	8. भंगी	7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया
9. मैथिल	पाँचाल, धीमान्	9. भील	8. भील मीना
10. मालवीय	6. बड़ी	10. चमार, चंवर चमार,	9. भुंजिया
11. सारस्वत	7. बैरागी	जटिया या जाटव चमार,	10. बीआर, बीयार
12. द्विवेदी	8. बैरवा, बेरवा	मोची, रामदासिया, रवि	11. बिंझवार
13. त्रिवेदी	9. बरई, बरी, तम्बोली	दासी, रैदासी, रेहगर या	12. बिरहुल, बिरहोर
14. चतुर्वेदी	10. बौरिया/बावरिया	रैगर	13. दमोर, दामरिया
15. झा	11. बाजीगर, नट, कलंदर	11. चोहड़ा (स्वीपर)	14. धनवार
16. ओझा	12. भरभूजा, कनु	12. चुहड़ा (बाल्मीकि)	15. गडाबा, गडबा
17. पाठक	13. भाट	13. धनक या धनुक	16. गोंड, अरख, अर्रख, अगरिया, असुर,
18. उपाध्याय	14. भाटिआरा	14. धोबी	बड़ी मारिया,बड़ा मारिया, भटोला, भीमा,
19. अवस्थी	15. चाक	15. डोम	भुता,कोइलाभुता, कोलियाभुती भार,
20. देशस्थ	16. चिप्पी, टोंक, दर्जी,	16. घर्रामी	बिसोनहार्न मारिया, छोटा मारिया,दंडामी
21. विसेन	इद्रिशी	17. जुलाहा (वीवर)	मारिया, धुरु, धुरवा,धोबा, धुलिया, डोरला,
22. शुक्ला	17. डकौत, प्रादे	18. कबीर पंथी	गयकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोवारी, हिल
23. वाजपेयी	18. धीनवर, झीनवर,	19. कछन्धा	मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर
24. मिश्र	निषाद, केवट/मल्लाह,	20. कंजर या गियरह	कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया,
25. कोकणस्थ	कहर, कश्यप	21. खटीक	कुचाकी, मारिया, माडिया, मारिया, माना,
26. पाराशर	19. धोबी, कस्सर	22. कोली	मन्नेवार, मोघ्या, मोगिया, मोघ्या, मुडिया,
27. व्यास	20. धुनिया, पिंजारा,	23. लालबेगी	मुरिया, नगारची, नागवंशी, ओझा, राज
28. गोसायी	कंदेरा–करन, धुन्नेवाला	24. मदारी	गोंड, सोन्झारी झरेकाथाटिया, थोट्या, वड़े
29. गिरि पर्वत	नद्वपफ, मन्सूरी	25. मल्लाह	मारिया, डरोई
30. पारसीका	21. फकीर	26. मजहबी	17. हलबा, हलबी
31. शर्मन	22. गडरिया, गडेरी,	27. मेघवाल	18. कमार
32. शाक द्वीपी	गड्डी,गर्री	28. नारीबत	19. कारकू
33. अंग	23. घसिआरा	29. नट (राणा)	20 कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राथिया
34. तिवारी	24. गुजर / गुज्जर, गुर्जर	30. पासी	तँवर, छत्री
35. चौबे	25. जोगी, गोस्वामी	31. पेरना	21. कीर
36. दूबे	26. जुलाहा, अंसारी	32. सांसी या भेदकूट	22. खैरवार, कोंडर
37. पाण्डेय	27. कच्ही, कोइरी, मुरै,	33. सपेरा	23. खरिया
38. तैलंग	मुराओ	34. सिकलीगर	24. कोंध, खोंड, कांध
39. नागर	28. कसाई, कस्सब,	35. सिंगीवाला या	25. कोल
40. मिश्रा	कुरैशी	कालबेलिया	26. कोलम

	29. कसेरा, तमेरा, ठठिआर 30. खटगुने 31. खटिक 32. कुम्हार, प्रजापति 33. कुर्मी 34. लेखेड़ा, मनिहार 35. लोदी, लोदा, लोद, महा–लोद 36. लुहार, भुभलिया, सैफी 37. माची, मच्छेरा 38. माली, सैनी, साउथिया, सगरवंशी माली, नायक 39. मेमार, राज 40. मिणा / मीणा 41. मेरसी, मिरासी 42. मोची 43. नाई, हज्जम, नाई (सबिता), सलमानी 44. नलबंद 45. नक्कल 46. पाखीवाड़ा 47. पटवा 48. पथार–चेरा, संगतरश 49. रंगरेज़ 50. सुनार 51. तेली, तेली–मलिक 52. कल्वर 53. अरक, अरकवंशीय 54. रै–सिख (महतम)	36. सिरकीबन्द	27. कोरकु, बोपची, मोवासी निहाल, नाहुल, बोंधी, बोंडेया 28. कोरवा, कोडाकू 29. माझी 30. मझवार 31. मवासी 32. मीना 33. मुंडा 34. नगेसिया, नगासिया 35. उरांव, धनका, धांगड 36. पनिका 37. पाओ 38. परधान, पथारी, सरोती 39. पारधी 40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टकनकर, टाकिया 41. परजा 42. सहारिया, सहारिआ, सेहारिआ, सेहरिआ, सोसिआ सोर 43. साओंता, सौंता 44. सौर 45. सावर, सावरा 46. सोर

- मुस्लिम जातियाँ–भारतीय मुसलमानों में चौधरी, सैयद, शैख, अंसारी, काजी, घोसी, हलवाई, बढ़ई, दर्जी, लुहार, धूना, खटिक, नाई, तेली, कलाल, माहगीर, कसाई[11], मुगल, पठान, मोमिन, मंसूरी, इब्राहिम, जुलाहा, दफाली इत्यादि।[12]
- सिक्ख जातियाँ–कामी सिक्ख, राम गढ़िया सिक्ख, रेहटिया सिक्ख, मजहबी सिक्ख, राय सिक्ख आदि।
- ईसाई जातियाँ–विदेशी ईसाईयों में बड़ी–बड़ी जातियाँ–अमेरिकन जाति, रसियन जाति, जर्मन जाति, चीनी जाति, जापानी, अंग्रेजी जाति, गौरी एवं काली जाति देखने को मिलती हैं। वहाँ पर इन जातियों का उद्भव वारक्षण के प्रतिबन्ध न होने के कारण ही हुआ। जबकि भारतीय ईसाईयों में सीरिअन ईसाई, नाडार ईसाई, वेल्लालास ईसाई, मादिगस ईसाई, सीरिअन रोमन, लैटिन रोमन, जैकोबाइट, लैटिन केथोलिक, मारथोमाइट, सीरियन केथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट आदि। ये स्वयं को एक–दूसरे से पृथक् मानते हैं।

इन सभी सूचीबद्ध समूहों की जातियों को एक समान नहीं माना जाता। इनमें ऊँच–नीच का भेद व्याप्त है। उच्च और मध्यम जातियों की अपेक्षा निम्न और अति निम्न जातियों की स्थिति अति शोचनीय है। परम्परागत रूप से यह सबसे वंचित वर्ग रहा है और है भी। उच्च वर्ग के लोग इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अपनी निम्न जाति के कारण इनको ऐसे व्यवसाय करने पड़ते हैं। जो सबसे कम वांछित माने जाते हैं, यथा–चमारों के द्वारा परम्परागत रूप से जानवरों की खाल उतारना एवं जूते तथा चमड़े के अन्य सामान बनाना। भंगी के द्वारा सफाई इत्यादि का कार्य करना। आरम्भ से ही नीची जातियों को ऊँची जातियों के कुएं, तालाब से पानी भरना, सार्वजनिक स्थल, मंदिरों में प्रवेश करना, विद्यालयों में पढ़ना, छात्रावास में रहना, होटल में ठहरना, अच्छे मकान, कपड़े एवं आभूषणों को पहनना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन व उपदेशों का श्रवण करना, उच्च व्यवसाय इत्यादि का प्रतिबन्ध था।[13] इन सब से वंचित रहने के कारण ये स्वयं को ऊँची जातियों के समक्ष कमजोर और पतित समझने लगे। जिससे इनका जीवन नरकमय हो गया था। इस जातीय संकीर्णता के कारण भारतीय समाज की स्थिति चिन्तनीय बनी रही। सदियों से उच्चकुल में उत्पन्न लोगों ने अपने जातीय अधिकारों का दुरुपयोग किया। दूसरी ओर शूद्र जाति में उत्पन्न व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं के समुचित विकास का अवसर प्राप्त नहीं हुआ और उनका सदियों तक शोषण होता रहा। इसलिये वर्तमानयुग में यह आवश्यक समझा गया कि दलित वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जाए। आज संवैधानिक कानून व्यवस्था में किसी के भी साथ इस प्रकार के व्यवहार को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है जिससे पुराने नियम शिथिल पड़ते जा रहे हैं और निम्न जाति के लोग सामान्य जीवन जीने के लिए अग्रसर हो रहे हैं।

वर्तमान में शिक्षा और ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आवागमन एवं संदेशवाहन के साधनों की वृद्धि के कारण भौगोलिक पृथक्ता समाप्त होती जा रही है, उद्योग–धन्धों के बढ़ने के कारण लोगों का आपसी सम्पर्क बढ़ रहा है, लोगों का रुझान विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, नवीन विचारधारा एवं धार्मिक सुधारों का प्रभाव तथा धन का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। फिर भी कुछ लोगों की आन्तरिक भावना अभी भी परिवर्तित नहीं हुई है। वे अभी भी जातीय भेदभाव में विश्वास रखते हैं, किन्तु जाति व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन हो गए हैं, यथा–अब किसी भी जाति–धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, खान–पान कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जहाँ अधिकांश जातियों की निश्चित वृत्तियाँ थी और वंशपरम्परागत हस्तान्तरित होती रहती थी वहीं आज प्रत्येक जाति के व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार किसी भी प्रकार की वृत्तियों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। चमार,

धोबी, धानुक, मेहतर, दर्जी इत्यादि के कार्य, जिन्हें निम्न कार्य माना जाता था, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कुर्मी, काद्दी, किसान जैसी ऊँची जातियों के लोग करने लगे हैं। इसके साथ ही उच्च वर्गों के समान निम्न जातियाँ भी प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नति कर रही हैं, यथा–उत्तर प्रदेश में मायावती तथा बिहार में लालू प्रसाद यादव का अपने–अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना। इनके द्वारा सत्ता की बागडोर सम्भालने पर अस्पृश्य एवं पिछड़े वर्ग का तेजी से विकास प्रारम्भ हो गया है और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है।

यद्यपि पहले अन्तर्जातीय विवाह होते थे, किन्तु आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऐसे विवाहों को अनादर की दृष्टि से देखते हैं। वे अपनी ही जाति में विवाह करना उचित मानते हैं। यदि कोई जाति से बाहर विवाह करता है तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। लेकिन नगरों में शिक्षित वर्ग की मनोवृत्ति इस ओर उदार होती जा रही है। ऐसा लगता है कि जातिप्रथा के जो बन्धन कठोर हो गये थे, उनमें शिथिलता आ रही है, परन्तु वास्तविकता तो यह है कि आन्तरिक जातीय भावना अत्यधिक दृढ़ होती जा रही है और गम्भीर रूप धारण कर रही है। एक जाति का दूसरी जाति से सामाजिक संघर्ष बढ़ता जा रहा है। बाह्यरूप से तो लोग जातिप्रथा के विरूद्ध चर्चा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, परन्तु आन्तरिक दृष्टि से वे जातिप्रथा के अत्यधिक पोषक हैं। लोग एक–दूसरे को उन्नति करते हुए देख नहीं सकते, वैमनस्य का भाव रखते हैं, जिससे भीषण जातिवाद का स्वरूप अन्दर–ही–अन्दर पनपता जा रहा है। इस भावना के कारण एक जाति के व्यक्ति देश या समाज के सामान्य हितों को दृष्टि में न रखते हुए, केवल अपनी जाति सदस्यों के उत्थान, एकता एवं सामाजिक स्थिति की वृद्धि चाहते हैं। यह प्रयास प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। यही कारण है कि यह अनिष्टकारक होने पर भी भारतवासियों के चिन्तन में रमी हुई है, और लोग इसे छोडना नहीं चाहते। हट्टन ने जातिप्रथा के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि–'जाति का महत्त्वपूर्ण कार्य भारतीय समाज को अखण्ड बनाना और विभिन्न प्रतिद्वंदी समूहों को एक समुदाय में जोड़ना है।[14]

एक ओर जाति अपने सदस्यों को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करती है। विभिन्न समुदायों को एकता के सूत्र में बांधती है। समूहों में सहयोग की भावना का संचार करती है[15] तो दूसरी ओर यह प्रथा ही राष्ट्रीय एकता में बाधक है, क्योंकि इसके कारण जातियों एवं उपजातियों में जो ऊँच–नीच का भाव आ गया है उसने ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण नहीं होने दिया। इसने ही साम्प्रदायिकता, अलगाववाद, अस्पृश्यता, अप्रवेश्यता और अदर्शनीयता को जन्म दिया, जिसमें व्यक्ति– व्यक्ति के बीच इतना भेद किया जाने लगा कि निम्न जाति के स्पर्शमात्र, प्रवेशमात्र और दर्शनमात्र से ही उच्च जातियों के व्यक्ति अपवित्र माने जाने लगे।[16]जातिगत आरक्षण को प्रोत्साहन भी इसी की देन है, किन्तु व्यक्ति की योग्यता की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

आज जातिप्रथा ने व्यक्ति–व्यक्ति में प्रतिस्पर्धा को इतना बढ़ा दिया है कि वह धर्म एवं राष्ट्रहित के स्थान पर व्यक्तिगत लाभ एवं निजी स्वार्थ को अत्यधिक महत्त्व देता है तथा अधिक–से–अधिक लाभ, धनार्जित करने के लिए उचित एवं अनुचित रीतियों का उपयोग करता है। वस्तुत: जातीय भावना राष्ट्रीय भावना को पनपने नहीं देती, अपितु उसे विघटन की ओर ले जाती है जबकि राष्ट्रीय भावना संगठन की ओर। अतएव हमें जातिगत विसंगतियों को दूर करना होगा।

समानता और स्वतंत्रता के विचारों पर आधारित आधुनिक विचारधारा में जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। समय-समय पर अनेक समाज सुधारकों तथा विचारकों ने इसके विरूद्ध आवाज उठाई है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, राजाराममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, गुरू नानक, कबीर, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर आदि सभी ने जातीय उत्पीड़न के विरूद्ध दलितों के उत्थान तथा जातिवाद एवं अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए संघर्ष किया। लेकिन यह समाप्त नहीं हुई अपितु अपना स्वरूप परिवर्तित करती रही। बाद में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जातीय भेदभाव तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक समान व्यवस्था का प्रावधान किया गया। कुछ नियम-कानून इस प्रकार हैं -

- अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक से केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(2) राज्य और व्यक्तियों दोनों को धर्म, मूलवंश आदि इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक दुकानों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थान के उपयोग में विभेद करने का निषेध करता है।[17]
- अनुच्छेद 16(1) के अन्तर्गत राज्य के अधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 16(2) के तहत केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्य के अधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा।[18]
- अनुच्छेद 17 अस्पश्यता को गैर-काननी घोषित करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण करने का निषेध करता है। इस व्यवस्था के अतिरिक्त अस्पृश्यता के विरूद्ध "अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955" पारित किया गया। इसके अन्तर्गत अस्पृश्यता का आचरण करने वाले तथा उसे प्रोत्साहित करने वाले को छः मास तक की कारावास तथा पाँच सौ रुपये जुर्माने की सजा दी जा सकती है।[19]
- अनुच्छेद 29(2) के अधीन राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति इत्यादि किसी भी आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा।[20]
- अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य, जनता के दुर्बलतर विभागों (वर्गों) विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानीपूर्वक उन्नत करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।[21]

यहाँ सरकारी सेवाओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी के लिए आरक्षण स्थापित करने का उद्देश्य भारतीय समाज के वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करके एक न्यायसंगत समाज का निर्माण करना है। साथ ही उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक आदि सभी प्रकार की गतिशीलता के लिए अवसर उपलब्ध कराना भी है।

समाज के दुर्बल वर्गों के पक्ष में इन संवैधानिक संरक्षण के अतिरिक्त कुछ संरक्षात्मक एवं शोषण विरोधी अधिनियम की भी व्यवस्था की गई। 1989 में संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति "अत्याचार निवारण अधिनियम 1989" में पारित कर, इन वर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन धीरे-धीरे प्रशासन और

पुलिस की मानसिकता के कारण इसे निष्प्रभावी बनाने का प्रयास जारी रहा। इसलिये 11 अगस्त, 2012 में दिल्ली में इस अधिनियम को निष्प्रभावी बनाये जाने के विरोध में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया के महासचिव एडवोकेट अरूण मांझी ने और जाति विरोधी संगठन, दिल्ली के कामरेड जयप्रकाश ने क्रमश: एस.सी. या एस.टी. एक्ट 1989 पर तथा दलितों पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में पर्चा पेश किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस एक्ट के तहत दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं के सभी मामलों को दर्ज किया जाना चाहिए। जिससे वे शोषण से बच सकें और इस अधिनियम का लाभ पा सकें।[22]

वर्णित कानून व्यवस्था के अतिरिक्त समय-समय पर अखिल भारतीय सामाजिक संस्थाओं, यथा-अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ दिल्ली, ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद, हिन्दू-मिशन कलकत्ता, दी सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डियन सोसायटी पूना, भारतीय दलित वर्ग संघ नई दिल्ली, भारत दलित सेवक संघ पूना, केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड नई दिल्ली इत्यादि ने अस्पृश्यता के विरूद्ध कार्य किया तथा अब भी कार्यरत हैं। इन्होंने सार्वजनिक सभाओं, सम्मेलनों, सिनेमा, पोस्टरों आदि के माध्यम से प्रचार किया। सामाजिक कल्याण केन्द्र खोले। हरिजनों के लिए अनेक छात्रावास, मन्दिर,जलपानगृह, धर्मशालायें, कूएं, नाई की दुकानें खुलवाईं। मन्दिरों एवं कुओं पर प्रवेश करवाया आदि।[23]

सरकार (केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक स्थितियों इत्यादि के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान दे रही है। वे संस्थायें हैं-अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ दिल्ली, भारतीय दलित वर्ग संघ नई दिल्ली, ईश्वरशरण आश्रम इलाहाबाद, भारत दलित सेवक संघ पूना, केन्द्रीय समाज-कल्याण बोर्ड नई दिल्ली आदि। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धनराशि देती है, जिससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नि:शुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, फीस में रियायत, छात्रावास की दृष्टि से छात्रवृत्तियाँ, विदेशों में अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियाँ, पब्लिक स्कूलों में योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, प्रौद्योगिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित की सुविधा, आर्थिक क्षेत्र में भूमि अधिकार की सुरक्षा, कुटीर उद्योग के प्रशिक्षण, अन्न भण्डारों को खोलने, कर्ज की ब्याज की दर कम करने, जन स्वास्थ्य के लिए औषधालय की व्यवस्था, गृह निर्माण आदि की सुविधा दी जाती है।[24] इस प्रकार पहले दलित वर्गों को अनेक सुविधाओं से वंचित रखा गया था और आज अनेक सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न अधिकार प्रदान किये गये हैं, किन्तु शिक्षा-संस्थानों तथा सरकारी सेवाओं आदि में विभिन्न राज्यों में हुए आरक्षण के कारण सामान्य श्रेणी और निम्न श्रेणी के लोगों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आरक्षण विरोधियों का यह मानना है कि उनकी योग्यता की उपेक्षा की जा रही है।

यद्यपि आज न्यायव्यवस्था सभी के लिए समान है और विभिन्न संस्थायें जाति- वाद के खिलाफ कार्य कर रही हैं। फिर भी वर्गगत भेद अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है। दलितों के पीड़ित होने की अनेक घटनाएँ देखने को मिलती हैं तथा अपराधी व्यक्ति विभिन्न उपायों से प्राय: दण्डमुक्त रह जाते हैं। राजनीतिज्ञ अपने प्रभाव से, पूँजीपति धन के बल से, शिक्षित अपने बौद्धिक चातुर्य से दण्डित नहीं हो पाते। आज आवश्यकता इस बात की है कि न्यायव्यवस्था किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रहते हुए निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करती रहे।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत में वर्णव्यवस्था का नहीं जातिवाद का प्राबल्य है। कतिपय सन्दर्भो में यह पहले की अपेक्षा अधिक संगठित तथा आक्रामक हो चुकी है। आज यह अपने जिस उग्र रूप में है उसे सहजतापूर्वक समाप्त तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग इसे हितकर तो कुछ अहितकर मानते हैं, परन्तु इसके दोषों को दूर करने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिये। डॉ. मजूमदार का मत है कि "अस्पृश्यता एक जाति का दूसरी जाति द्वारा शोषण है और ऐसी ही अन्य इस प्रथा की हानिकारक सहयोगी प्रथाओं को समाप्त कर देना चाहिये, न कि सम्पूर्ण व्यवस्था को। क्षतग्रस्त विषाक्त अंगुली को काटना चाहिये न कि पूरे हाथ को।[25] यदि हम जनतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो जातिगत रूढ़ियों को शिथिल करना होगा और योग्यता एवं समानता को महत्त्व देना होगा।

सन्दर्भग्रन्थाः

1. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएं, प्र.सं.1959, पृ.159-165
2. "It is urged emphatically that the Indian Caste System is the natural result of the interaction of a number of geographical, social, political, religious and economic factors not elsewhere found in conjunction. Hutton, J.H. Caste in India, P.188.
3. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, संस्करण पैंतालिसवां, 2012, संविधान का अनुच्छेद 25, पृ.314-315
4. शाह, एस.एल., भारत में जाति एवं वर्ण व्यवस्था कब और कैसे? प्र.सं.2005, पृ.91
5. (क) सम्पा., रमणिका गुप्ता, आदिवासी कौन, प्र.सं.2008, पृ.26-27
   (ख) जैन, श्रीचंद्र, आदिवासियों के बीच, प्र.सं.2007, पृ.11-12
6. उपजातियाँ, यथा-अकेले कुर्मी जाति में लगभग चार हजार से अधिक उपजातियाँ मिलती हैं। निर्मोही, डॉ. एस.एल. सिंह देव, भारत की जातियाँ उद्भव एवं विकास, खण्ड-2, प्र.सं. 2011, पृ.895-945
7. निर्मोही, डॉ. एस. एल. सिंह देव, भारत की जातियां उद्भव एवं विकास, प्रथम खण्ड, प्र.सं.2011, पृ.56-59, 78-80 तथा द्वितीय खण्ड, पृ. 628
8. www.ncbc.nic.in/centrallistifobc.html (as on 04.03.2013)
9. dtf.in/lists-of-scheduled-castes-scheduled (as on 03.03.2013)
10. वही
11. संपा.-अहमद, इम्तियाज, अनु.-नदीम नरेश, भारत के मुसलमानों में जातिव्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण, पं.सं.2003, पृ.204
12. निर्मोही, डॉ. एस.एल. सिंह देव, भारत की जातियाँ उद्भव एवं विकास, प्रथम खण्ड, प्र.स. 2011, पृ.34
13. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, सं.1960, पृ.196-197

14. It will be understood then that one important function of caste, perhaps the most important of all its functions' and the one which above all others makes caste in India an unequal institution, is or has been, to integrate Indian Society, to weld in to one community the various competing, if not incompatible groups composing if. Hutton, J.H., Caste in India, p.119.
15. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, प्र.सं.1959, पृ.176-177
16. तोमर, प्रो. राम बिहारी सिंह, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, प्र.सं.1959, पृ.180
17. पाण्डेय, डॉ. जय नारायण, भारत का संविधान, पैंतालिसवाँ सं.2012, संविधान का अनुच्छेद 15(1), 15(2), पृ.127-128
18. वही, अनुच्छेद 16(1), 16(2), पृ.141
19. वही, अनुच्छेद 17, पृ.172-173
20. वही, अनुच्छेद 29(2), पृ.331
21. वही, अनुच्छेद 46, पृ.401
22. सम्पा.-नरेला, जे.पी., पत्रिका-जाति उन्मूलन, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज निर्माण के लिए, अंक 1, मार्च-मई 2013, हिन्दी, पृ.28
23. तोमर, प्रो. राम बिहारी, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पं.सं.1959, पृ.205-209
24. तोमर, प्रो. राम बिहारी, भारतीय सामाजिक संस्थाएँ, पं.सं.1959, पृ.216-226
25. "Untouchability, exploitation or one caste by another and such other harmful concomitants of the system should be done away with, and not the whole system, the broken, poisoned finger should be amputated not the whole hand." Mazumdar, D.N. and Madan, T.N. 'Social Anthropology', p.238.